राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] **पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पहला दिवस** **[संख्या: 01**

बुधवार,

09 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.48 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: सचिव।

सचिव, राजस्थान विधान सभा: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत एवं श्री नगराज।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर)	शपथ	हिन्दी
2.	श्री नगराज (धरियावद)	शपथ	हिन्दी

संदेश

राज्यपाल महोदय से राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्या-4) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष: भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्या-4) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

यतः मैने राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधेयक संख्या 4, 2021) के प्रावधानों को देखा, जो कि 17 सितम्बर, 2021 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है और 24 सितम्बर, 2021 को मेरी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 8 में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है-

"(1) विवाह के पक्षकार, या यदि वर ने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और/या वधू ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो पक्षकारों के माता-पिता या, यथास्थिति उनके संरक्षक, विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उस रजिस्ट्रार को, ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या विवाह के पक्षकार या उनमें से कोई ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से कम से कम तीस दिवस पूर्व से निवास कर रहा है।",

उक्त संशोधन विधेयक भारत सरकार के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 12 का उल्लंघन करता है, क्योंकि विवाह और विवाह-विच्छेद विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण से केन्द्र एवं राज्य दोनों के द्वारा विधि बनाई जा सकती है। समवर्ती सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि अभिभावी होती है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली ने उक्त संशोधन विधेयक के संबंध में भी आपत्तियां जाहिर की हैं।

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 12 के प्रावधान जो निम्नवत हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

9. बाल-विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड - जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल-विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

10. बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड- जो कोई किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा, या निदिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

11. बाल-विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड -(1) जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता-पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किये जाने से निवाण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल-विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएंगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक को भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किये जाने से निवारित करने में अपेक्षापूर्वक असफल रहा है।

12. कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना- जहां कोई बालक, जो अवयस्क है, विवाह के प्रयोजन के लिए,-

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है; या

(श्री अध्यक्ष)

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है; या

(ग) विक्रय किया जाता है, और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है,

वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

विवाह और विवाह-विच्छेद विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। समवर्ती सूची पर बनायी गयी विधि राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधि पर अभिभावी होगी।

उक्त विधेयक के संबंध में राज्य सरकार ने अवगत कराया है कि समाज के कुछ वर्गों में यह भ्रांति हो गई है कि संशोधी विधेयक में बाल विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान के होने से बाल विवाह को मान्यता मिलेगी, उक्त भ्रांति को निर्मूल करने के उद्देश्य से किसी नये विचार अथवा उपबन्ध पर कार्यवाही किये जाने के लिए विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए आग्रह किया गया है।

इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए विधेयक इस आशय के साथ लौटाता हूं कि विधान सभा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर पुनर्विचार करते हुए इस बिन्दु पर भी परीक्षण करे कि केन्द्रीय अधिनियम 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' से प्रस्तावित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 किस-किस बिन्दु पर विधि सम्मत नहीं है।

माननीय सदस्य, बाद में। (व्यवधान) पहले यह होगा। I will not allow it. I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। सचिव महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

सदन पटल पर रखे गये पत्र

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020;
2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020;
3. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020;
4. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021;
5. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021;
6. राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021;
7. राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021;
8. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021;
9. राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021;
10. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021;
11. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021; एवं
12. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति, प्लीज।

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर, प्रथम सी.डी.एस. श्री बिपिन रावत, पूर्व सांसद श्रीमती जमना देवी बारुपाल, श्री गंगाराम कोली, श्री श्याम सुन्दर सोमानी, श्री बृजराज सिंह एवं श्री डी.एन. पाटोदिया, राजस्थान विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्र जाट, इस सदन के पूर्व सदस्य श्री जयनारायण पूनियां, श्री महिपाल मदेरणा, श्री मोहन लाल चौहान, श्री कमल राम कोली, श्री जीतमल जैन, श्री रामकरण चौधरी, श्री हीरालाल खांट, श्री गोवर्धन सिंह एवं श्री सूरजमल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

लता मंगेशकर, सुश्री, भारत रत्न

पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इन्दौर में हुआ।

लता जी नवम्बर, 1999 से नवम्बर, 2005 तक राज्य सभा की मनोनीत सदस्य रहीं। 'लता दीदी' के नाम से प्रख्यात लता मंगेशकर अपने बाल्यकाल से ही संगीत से प्रभावित थीं। आपने 13 वर्ष की आयु में ही हिन्दी तथा मराठी चलचित्रों में अभिनय किया तथा गायन प्रारम्भ किया। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अपने जीवनकाल में 25 हजार से अधिक गाने गाये। आपके गाये गाने कालजयी हैं तथा आज भी जनमानस पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। सभी सुर साधकों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहीं लता दीदी का भारतीय संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा। 'भारत की नाइटेंगल' एवं 'मेलोडी क्वीन' के नाम से दुनिया में मशहूर रहीं लता मंगेशकर का जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। आपने 36 से अधिक भाषाओं में गायन किया।

सरल हृदय तथा मानवीय मूल्यों को समर्पित लता जी ने गरीबों तथा साधनविहीन मरीजों की सहायतार्थ लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। आपने छात्रों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की शुरुआत भी की।

भारतीय संगीत के क्षेत्र में आपके अद्वितीय योगदान के कारण आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों

(श्री अध्यक्ष)

से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में आपको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया।

लता मंगेशकर का दिनांक 06 फरवरी, 2022 को निधन हो गया। आपके निधन से संगीत का एक युग समाप्त हो गया है एवं संगीत जगत में अपूरणीय क्षति हुई है।

बिपिन रावत, श्री, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ

प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च, 1958 को उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ।

श्री बिपिन रावत ने वर्ष 1978 में ग्यारहवीं गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। सेना में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाते हुए आप वर्ष 2016 में चीफ आफ द आर्मी स्टाफ बने। वर्ष 2019 में चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने श्री रावत जनवरी, 2020 में भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए। श्री रावत ने विभिन्न सैन्य आपरेशंस का कुशलता से संचालन किया। आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सैन्य मैडल्स के साथ-साथ मरणोपरान्त पद्म विभूषण से भी आपको सम्मानित किया गया।

भारत के पहले सी.डी.एस. जनरल श्री बिपिन रावत ने भारतीय सेना के उच्च रक्षा संगठन में दूरगामी सुधारों की शुरुआत की। आपने भारत के संयुक्त थियेटर कमाण्ड की नींव रखने और सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री बिपिन रावत का हवाई दुर्घटना में दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 को निधन हो गया।

जमना देवी बारुपाल, श्रीमती, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्रीमती जमना देवी बारुपाल का जन्म 15 अगस्त, 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने हिन्दी रत्न उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल वर्ष 2000 से 2006 तक राज्य सभा में सांसद रहीं। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप कृषि सम्बन्धी समिति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति की सदस्य रहीं। श्रीमती बारुपाल कोयला, खान, ऊर्जा और पर्यटन मंत्रालयों की सलाहकार समिति की भी सदस्य रहीं।

(श्री अध्यक्ष)

अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती बारुपाल पंचायत समिति, बीकानेर की प्रधान रहीं। गरीबों, पिछड़ों एवं महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत रहीं श्रीमती बारुपाल अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहीं। आपको समाज सुधार में उल्लेखनीय योगदान के कारण 'मेघवाल समाज रत्न' एवं 'वीरांगना झलकारी बाई' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने सांसद निधि से अनेक बालिका विद्यालयों का निर्माण कराया। अध्ययन में रुचि रखने वाली श्रीमती बारुपाल की 'आखर प्रेरणागीत' शीर्षक से पुस्तक भी प्रकाशित हुई।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल का दिनांक 20 जनवरी, 2022 को निधन हो गया।

गंगाराम कोली, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री गंगाराम कोली का जन्म 05 जनवरी, 1937 को भरतपुर जिले के बयाना में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री गंगाराम कोली दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी समिति, संचार समिति एवं सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य रहे। आप संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री कोली वर्ष 1962 से 1972 तक बयाना नगरपालिका के पार्षद भी रहे।

श्री गंगाराम कोली का दिनांक 13 जनवरी, 2022 को निधन हो गया।

श्याम सुन्दर सोमानी, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री श्याम सुन्दर सोमानी का जन्म 23 अक्टूबर, 1934 को भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा में हुआ। आपने बीए., एलएल.बी. एवं साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री श्याम सुन्दर सोमानी छठी लोक सभा में चित्तौड़गढ़ से सांसद निर्वाचित हुए। श्री सोमानी लोक सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आप बार एसोसियेशन के महासचिव एवं अध्यक्ष भी रहे।

जनसंघ से सम्बद्ध रहे श्री सोमानी इसके जिला सचिव एवं प्रदेश

(श्री अध्यक्ष)

कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। विभिन्न आन्दोलनों के दौरान आपने जेल यात्राएं भी कीं।

श्री श्याम सुन्दर सोमानी का दिनांक 26 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया।

बृजराज सिंह, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री बृजराज सिंह का जन्म 21 फरवरी, 1934 को कोटा में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स) एवं एम.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बृजराज सिंह तीसरी, चौथी एवं पांचवीं लोक सभा में सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति सहित विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह कोटा एवं झालावाड़ जिला परिषद् के सदस्य रहे। रक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले श्री सिंह नागरिक रक्षा परिषद्, कोटा के अध्यक्ष रहे। आप केन्द्रीय सहकारी बैंक, कोटा के निदेशक मण्डल के सभापति, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु गठित राज्य बोर्ड तथा राज्य आयोजना बोर्ड के सदस्य भी रहे। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहे श्री सिंह अनेक शैक्षिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। आप नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, वाशिंगटन, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, वर्ल्ड एसोसियेशन आफ वर्ल्ड फैडरेलिस्ट तथा रायल सेंट्रल एशियन सोसाइटी, लंदन के सदस्य भी रहे।

खेलों में रुचि रखने वाले श्री सिंह ने स्किट एवं निशानेबाजी में कई पदक हासिल किये। आप विभिन्न खेल संगठनों से भी सम्बद्ध रहे। रक्षा एवं पर्यटन पर आपके आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

श्री बृजराज सिंह का दिनांक 29 जनवरी, 2022 को निधन हो गया।

डी.एन. पाटोदिया, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री डी.एन. पाटोदिया का जन्म 14 जनवरी, 1928 को कलकत्ता में हुआ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री डी.एन. पाटोदिया चौथी लोक सभा में जालौर से सांसद रहे। लोक सभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। आर्थिक मामलों के जानकार रहे श्री पाटोदिया कई

(श्री अध्यक्ष)

आर्थिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी रहे। खेलों में रुचि रखने वाले श्री पाटोदिया दिल्ली गोल्फ क्लब एवं कलकत्ता क्लब के सदस्य रहे।

श्री डी.एन. पाटोदिया का दिनांक 24 जनवरी, 2022 को निधन हो गया।

रामचन्द्र जाट, श्री, पूर्व उपाध्यक्ष

राजस्थान विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्र जाट का जन्म 07 जून, 1929 को उदयपुर में हुआ। आपने महाराणा भूपाल कालेज से एमए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामचन्द्र जाट छठी तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में जनता पार्टी के विधायक रहे। आप छठी विधान सभा में सहाड़ा तथा आठवीं विधान सभा में बनेड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री जाट सितम्बर, 1977 से फरवरी, 1980 तक राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। आपने सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ सदैव स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का पोषण किया। श्री जाट विधान सभा की प्राक्कलन समिति 'क' एवं विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री जाट समाज सुधार एवं किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। आप भीलवाड़ा बार एसोसियेशन के दो बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गये।

श्री रामचन्द्र जाट का दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया।

जयनारायण पूनियां, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री जयनारायण पूनियां का जन्म 02 सितम्बर, 1933 को चूरू जिले के लाखलाण छोटी ग्राम में हुआ। आपने बी.एससी. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जयनारायण पूनियां छठी राजस्थान विधान सभा में सादुलपुर तथा आठवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी एवं आठवीं विधान सभा में जनता दल तथा चौदहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति

(श्री अध्यक्ष)

'क' एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। श्री पूनियां राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा बाढ़ एवं अकाल सहायता विभाग के मंत्री भी रहे।

श्री जयनारायण पूनियां का दिनांक 07 नवम्बर, 2021 को निधन हो गया।

महिपाल मदेरणा, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री महिपाल मदेरणा का जन्म 05 मार्च, 1952 को जोधपुर जिले में फलौदी के श्री लक्ष्मण नगर में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री महिपाल मदेरणा बारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। आप बारहवीं विधान सभा में भोपालगढ़ तथा तेरहवीं विधान सभा में ओसियां निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति के सदस्य रहे। श्री मदेरणा दिसम्बर, 2008 से अक्टूबर, 2011 तक राजस्थान सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भू-जल विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग तथा सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री रहे।

चार बार जोधपुर के जिला प्रमुख रहे श्री मदेरणा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, जोधपुर; मार्केटिंग सोसायटी, भोपालगढ़ एवं ग्राम सहकारी समिति चाडी के अध्यक्ष रहे।

श्री महिपाल मदेरणा का दिनांक 17 अक्टूबर, 2021 को निधन हो गया।

मोहन लाल चौहान, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मोहन लाल चौहान का जन्म 01 जुलाई, 1940 को नागौर जिले के बाजवास ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहन लाल चौहान आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में परबतसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप आठवीं विधान सभा में लोक दल, नौवीं विधान सभा में जनता दल एवं ग्यारहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विभाग, राज्य बीमा एवं भू-जल विभाग की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री चौहान समाज कल्याण समिति, नागौर के उपाध्यक्ष रहे। आप समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित छात्रावासों में परिवर्तन हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे। श्री चौहान जन-स्वास्थ्य अभियात्रिकी समिति, नागौर एवं जिला मेन पावर समिति, नागौर के सदस्य रहे। आप अखिल भारतीय रैगर महासभा के संगठन मंत्री एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर के सदस्य भी रहे।

श्री मोहन लाल चौहान का दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 को निधन हो गया।

कमल राम कोली, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री कमल राम कोली का जन्म 01 जून, 1955 को सवाई माधोपुर के हाड़ौली में हुआ। आपने सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्री कमल राम कोली दसवीं राजस्थान विधान सभा में हिण्डौन निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' एवं पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य रहे।

वर्ष 1979 से 1993 तक कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत रहे श्री कोली समाज में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे।

श्री कमल राम कोली का दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 को निधन हो गया।

जीतमल जैन, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जीतमल जैन का जन्म 03 फरवरी, 1931 को अजमेर में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री जीतमल जैन छठी, सातवीं एवं नौवीं राजस्थान विधान सभा में अलवर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा सातवीं एवं नौवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, गृह समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप प्राक्कलन समिति 'ख' के सभापति भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री जैन नगर विकास न्यास, अलवर के

(श्री अध्यक्ष)

दो बार अध्यक्ष तथा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के सदस्य रहे।

श्री जीतमल जैन का दिनांक 27 नवम्बर, 2021 को निधन हो गया।

रामकरण चौधरी, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रामकरण चौधरी का जन्म 10 अगस्त, 1935 को नागौर जिले के कान्यासनी ग्राम में हुआ। आपने बी.काम. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामकरण चौधरी नौवीं राजस्थान विधान सभा में मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', राजकीय उपक्रम समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री चौधरी रियां बड़ी पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप राजस्थान किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी रहे।

श्री रामकरण चौधरी का दिनांक 02 फरवरी, 2022 को निधन हो गया।

हीरालाल खांट, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री हीरालाल खांट का जन्म 14 जून, 1937 को डूंगरपुर जिले के रास्तापाल खरपेड़ा में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री हीरालाल खांट छठी राजस्थान विधान सभा में चौरासी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री खांट सरपंच रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे श्री खांट ने आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने में सक्रिय योगदान दिया। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले श्री खांट छात्र संघ के प्रधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं अध्यक्ष भी रहे।

श्री हीरालाल खांट का दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को निधन हो गया।

गोवर्धन सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री गोवर्धन सिंह का जन्म 08 जुलाई, 1932 को जोधपुर में हुआ। आपने इण्टरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोवर्धन सिंह पांचवीं राजस्थान विधान सभा में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री सिंह ग्राम पंचायत सीहोर बड़ी एवं जिला बोर्ड, सीकर के सदस्य रहे। आप पंचायत समिति धोद के प्रधान तथा जिला परिषद्, सीकर के उप प्रमुख भी रहे।

श्री गोवर्धन सिंह का दिनांक 05 फरवरी, 2022 को निधन हो गया।

सूरजमल, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री सूरजमल का जन्म 08 मई, 1925 को झुंझुनूं जिले में महरमपुर में हुआ। आपने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री सूरजमल चौथी राजस्थान विधान सभा में सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के विधायक रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप तहसील पंचायत, चिड़ावा के पंच भी रहे।

श्री सूरजमल का दिनांक 21 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक सन्तप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्य दो मिनट, एक मिनट, एक सैकण्ड रुकें।

बालोतरा-जोधपुर रोड पर बस दुर्घटना में मृतक व्यक्ति

दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को बाड़मेर जिले के बालोतरा-जोधपुर रोड पर हुई बस दुर्घटना में 4 बच्चों सहित 12 जनों की मृत्यु हो गयी। इस हृदय विदारक दुर्घटना में अनेक लोग घायल भी हुए।

जलपाईगुड़ी जिले में गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना में मृतक व्यक्ति

दिनांक 13 जनवरी, 2022 को पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गयीं। इस रेल दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हो गये।

(श्री अध्यक्ष)

यह सदन इन दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

ओम शान्ति।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2022 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.18 बजे गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र

का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण

1. पन्द्रहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं।
2. पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास के जो नये आयाम स्थापित किये हैं, उसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं।
3. पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा।
4. आज इस मौके पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा।
5. मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वारियर्स, डाक्टर्स, नर्स और सफाईकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किये बिना इस महामारी में लोगों के प्राण बचाए।
6. इस महामारी से लड़ाई में प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देते हूं।
7. राजस्थान कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है।
8. अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है।
9. इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसी चुनौतियां पैदा कीं जिनका सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था।
10. इस आपदा ने मानव के जीवन एवं जीविका दोनों पर ही वार किया। हमारे सामने चुनौती यह थी कि हमें बीमारी के प्रसार को भी रोकना था और इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को भी संभालना था।
11. सरकार के सामने बीमार लोगों के लिए उपचार उपलब्ध कराने का

चैलेंज था वहीं ऐसे लोग जिनका रोजगार इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उन्हें भी सम्बल देना था।

12. राजस्थान सरकार ने इस महामारी के शुरुआती दौर से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो।

13. इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिये दूरदर्शिता और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी।

14. हमने यह भी कोशिश की कि कोई भूखा न सोए। इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किये। ऐसे समय में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान बनकर सामने आई।

15. ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई तब भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

16. कोविड काल में हमने जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित परिवारों का सर्वे भी करवाया। ऐसे जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5 हजार 500 रुपये प्रति परिवार सहायतार्थ दिए गये। इसके लिए राजकोष से 1 हजार 815 करोड़ रुपये खर्च हुए।

17. प्रवासी मजदूर का पैदल पलायन जब अन्य राज्यों में बड़ी समस्या बनकर उभरा, तब हमारी सरकार ने उसका बेहतर प्रबंधन किया।

18. हमारा प्रयास रहा कि कोई पैदल न चले। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई स्पेशल गाड़ियों और ट्रेनों का खर्च राज्य सरकार ने उठाया। उपखण्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सभी मजदूरों को बसों व अन्य वाहनों से गंतव्य तक पहुंचाया गया।

19. हमारी सरकार ने प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क आरटीपीसीआर टैस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई बल्कि 1 लाख 45 हजार टैस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की।

20. आमजन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय-समय पर इस टैस्ट की कीमत कम की गई।

21. आज राजस्थान की प्राइवेट लैब्स में यह टैस्ट मात्र 350 रुपये में किया जाता है। इससे आम आदमी को बहुत राहत मिली है।

22. कोरोना काल में हमारी सरकार ने ''राजस्थान सतर्क है'' के सूत्र को अंगीकार करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया।

23. बेहतरीन कोरोना प्रबन्धन से राजस्थान की रिकवरी रेट बेहतर रही और मृत्युदर भी नियंत्रण में रही।

24. दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एयरक्राफ्ट तक का इस्तेमाल किया गया और ऑक्सीजन टैंकर्स की जीपीएस द्वारा मानिटरिंग करने जैसे नवाचार किये गये।

25. हमारी सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हेतु 40 हजार ऑक्सीजन कान्सन्ट्रेटर खरीदे, जिससे पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन बैड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी।

26. ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी से प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाना भी हमारे लिए एक चुनौती थी।

27. अस्पतालों में बैड की उपलब्धता और उनकी स्थिति को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन आई.टी. आधारित व्यवस्था की गई जिसमें प्रदेश भर के कोविड अस्पतालों में बैड्स की उपलब्धता को आम आदमी देख सकता था।

28. 181 हेल्पलाइन की मदद से 24 घंटे लोगों की सुनवाई की और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाई है।

29. भविष्य में दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियां पैदा न हों, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

30. राजकीय चिकित्सालयों में 473 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40 हजार ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर आदि से एक हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गयी है।

31. कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए गम्भीर मरीजों के उपचार की सुविधाओं में व्यापक वृद्धि की गयी है। राज्य में मार्च, 2020 में मात्र 5 हजार 909 ऑक्सीजन बैड एवं 1 हजार 211 आईसीयू बैड क्षमता उपलब्ध थी। अब प्रदेश में 28 हजार ऑक्सीजन बैड और 6 हजार आईसीयू बैड की क्षमता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

32. इस संकट का सामना करने के लिए हमारी सरकार ने 2018 की तुलना में अस्पतालों के सामान्य बैड, ऑक्सीजन बैड्स व आईसीयू बैड्स की संख्या में करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी की है।

33. मार्च, 2020 में बच्चों के आईसीयू बैड की कुल क्षमता मात्र 665 थी। अब कुल 1 हजार 600 नियोनेटल आईसीयू व पीडियाट्रिक आईसीयू बैड की क्षमता उपलब्ध है।

34. राजस्थान कोविड टीकाकरण में भी देश में अग्रणी रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में 3 फरवरी, 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 28 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रथम डोज़ एवं 4 करोड़ 6 लाख से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन डोज़ लगाई जा चुकी है।

35. 9 लाख 62 हजार व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज़ दी जा चुकी है। साथ ही 15 से 17 वर्ष तक के लगभग 30 लाख युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज़ दी गयी है। राज्य में टीकाकरण सभी आयु वर्गों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

माननीय सदस्यगण,

36. कोविड महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। हमने भविष्य में इस तरह की त्रासदी से स्वास्थ्य पर होने वाले आर्थिक भार से प्रदेश की जनता को मुक्त करवाने हेतु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।

37. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 788 सरकारी एवं 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है।

38. इस योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हृदय रोग, कैंसर और कोरोना आदि के इलाज के 1 हजार 597 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किये गये हैं।

39. इस योजना से 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। 7 लाख 41 हजार से अधिक मरीजों के इलाज पर लगभग 930 करोड़ रुपये की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

40. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय रोग एवं डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल की गयी हैं।

41. दवाई व सर्जिकल उपकरण आदि की संख्या मेडिकल कालेज से

सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में बढ़ाकर 969, जिला व सैटेलाइट अस्पतालों में 844, सीएचसी में 635, पीएचसी में 414 एवं सबसेंटर्स में 50 की गयी है।

42. अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 760 करोड़ रुपये व्यय कर मरीजों को लाभान्वित किया गया है।

43. मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व राहत प्रदान की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रतिदिन एक लाख 25 हजार से एक लाख 50 हजार जांचें निःशुल्क की जा रही हैं।

44. हमारी बेहतर एवं कम खर्च वाली चिकित्सा सेवाओं के कारण दूसरे राज्यों के मरीज़ हमारे प्रदेश में इलाज करवाने आते हैं जो हमारे लिए गर्व का विषय है।

45. नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.9 प्रतिशत हो गया है जबकि देश में संस्थागत प्रसव 88.6 प्रतिशत है।

46. बाड़मेर एवं सीकर में नये मेडिकल कालेज प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

47. 16 मेडिकल कालेजों में से 6 स्थानों श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

48. कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 200 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

49. जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में बढ़ते हुए मरीज़ों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिये 455 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में लगभग 1 हजार 200 बैड क्षमता एवं 10 आपरेशन थियेटर तैयार किये जायेंगे।

50. प्रत्येक जिले में नये मेडिकल कालेज खोलने की तर्ज़ पर नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण के लिये सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

51. प्रदेश में कोरोना से बचाव एवं उपचार के प्रति आयुर्वेद के बढ़ते रूझान को देखते हुए राज्य में 500 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस सेंटर प्रारम्भ किये गये हैं।

52. राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पीपीपी मोड पर मेडीट्रूरिज्म सेंटर्स स्थापना के क्रम में 20 स्थानों का चयन कर केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

53. हमारी सरकार ने इस बार भी ऐसे कार्य किये हैं, जो राजस्थान में पहली बार संपादित किये गये हैं। हमारे कार्य ही यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हम कितनी प्रतिबद्धता से प्रदेश का विकास कर रहे हैं।

54. हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में बहुत सारे नवाचार किये गये, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।

यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के लिए 1 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया गया।

राज्य में पहली बार स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया।

सिलिकोसिस बीमारी से पुनर्वास एवं राहत के लिए सिलिकोसिस नीति जारी की गई।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन आफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड आपरेशन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया।

'सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना

2019' शुरू की गई।

राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न नियुक्ति नियम में पैरा खेलों को भी सम्मिलित किया गया।

राज्य खेल प्रतियोगिता का अभूतपूर्व आयोजन किया गया। जिसमें 18 खेलों में 8 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया।

राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल, ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रदेश के लगभग 26 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा।

रिप्स 2019 में पर्यटन को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया।

500 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष के गठन का निर्णय किया गया।

विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित।

राज्य में औषधीय पौधे उपलब्ध कराने हेतु ''घर-घर औषधि योजना'' की शुरुआत की गई।

पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए राज्य में पहली बार ''जिला पर्यावरण योजना'' बनाई जाकर लागू की जा रही है।

3 हजार करोड़ रुपये के 'कार्मिक कल्याण कोष' का गठन किया गया।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु आरजीएचएस योजना प्रारम्भ की गई है।

विशेष योग्यजन कर्मचारियों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में पृथक् से 'कृषि बजट' प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

55. महात्मा गांधीजी ने बोम्बे क्रानिकल में 12 जनवरी, 1945 के लेख में लिखा है कि

''मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हमें लोकतांत्रिक स्वराज्य हासिल हो और यदि हमने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा से पाई, जो जरूर ऐसा ही

होगा तो उसमें किसानों के पास राजनीतिक सत्ता के साथ हर किस्म की सत्ता होनी चाहिए।''

56. महात्मा गांधी जी के इस विचार को सामने रखकर हमारी सरकार ने प्रदेश के किसान भाइयों के हित में पहली बार कृषि बजट के साथ ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है।

57. सहकारी बैंकों के 8 हजार 181 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये गये। साथ ही, हमने गत सरकार के समय से लम्बित 6 हजार करोड़ रुपये का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किये।

58. गत 3 वर्षों में 36 हजार 357 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़ 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये हैं।

59. किसानों को शोषण से मुक्ति और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हर पंचायत मुख्यालय पर नयी सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 418 पैक्स ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं 45 लैम्पस के गठन की स्वीकृति जारी की गयी है।

60. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रतिमाह एक हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है।

61. 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

62. गत 3 वर्षों में 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये।

63. 573 कस्टम हायरिंग केन्द्र/कृषि यंत्र किराया केन्द्र स्थापित किया गया।

64. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।

65. 877 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जा चुके हैं।

66. 166 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये गये।

67. समस्त 198 पशु औषधालय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये गये।

68. पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए पशुधन चिकित्सा के लिए सार्वजनिक उपयोग में आने वाली पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में 120 तरह की दवाइयां व टीके अनुमोदित किये गये।

69. बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा बस्सी (जयपुर) में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये।

70. गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिये सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये व छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रति दिन प्रति गौवंश की गई।

71. पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में वहन किये जाने का निर्णय।

72. प्रत्येक पंचायत समिति में 1 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से नंदीशाला खोले जाने की योजना बनाकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

73. गौशाला व कांजी हाउस में आवासित गौवंश के भरण पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 456 करोड़ 45 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।

74. आधारभूत संरचना हेतु 75 गौशालाओं को 5 करोड़ 35 लाख रुपये आबंटित।

75. वर्ष 2021-22 में करीब 26 लाख फसल बीमा पालिसियों पर 3 हजार 518 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है।

76. वर्ष 2021 खरीफ व 2021-2022 रबी की फसलों के लिये 15 लाख 42 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 5 लाख 19 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति करवाई जा चुकी है।

77. वर्ष 2021-22 में खरीफ व रबी की फसलों के लिये 21 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज वितरण किया गया।

78. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत अब तक संभावित 774 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की 450 से अधिक निवेश आवेदनों पर स्वीकृति

प्रदान की जा चुकी है। अब तक 152 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

79. कोरोना के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिये समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 23 लाख 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर लगभग 2 लाख 27 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया।

माननीय सदस्यगण,

80. हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि "सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें।"

81. हमारी सरकार ने बाबा साहब की सामाजिक न्याय की अवधारणा को सच करने के लिए समाज के हर उस तबके के विकास और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया है जो किन्हीं कारणों से मुख्यधारा से पीछे छूट गये थे।

82. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 97 करोड़ रुपये व्यय कर 178 अनाथ बच्चों, 8 हजार 609 विधवा महिलाओं तथा 5 हजार 640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इससे बालकों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।

83. भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर जी के समानता और समता के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रदेश में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं लागू की गयीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की पेंशन दी गई है।

84. प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान, 2021 के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।

85. पालनहार योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपये से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

86. ट्रांसजेण्डर्स भी हमारे समाज के अंग हैं। राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए 10 करोड़ रुपये का ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष गठित किया है।

87. देवनारायण योजना में मकसुदनपुरा (सवाईमाधोपुर), देवडूंगरी (पाली), केकड़ी (अजमेर), गुड़ला (करौली) और पीपलोद (जयपुर) में आवासीय विद्यालय शुरू किया गया।

88. देवनारायण योजना में सत्र 2020-21 से 3 आवासीय विद्यालय एवं सत्र 2021-22 से 2 आवासीय विद्यालय शुरू किये गये हैं। वर्ष 2021-22 में 5 छात्रावासों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

89. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गयी है तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं एवं जो लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

90. राज्य में वंचित वर्ग तथा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुविधाएं/रियायत/ छूट प्रदान करने हेतु ‘‘सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021‘‘ लागू की गई है।

91. विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सम्बल प्रदान करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना‘‘ लागू की गई है।

92. गैस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य के लिए सेवा हेतु वर्ष 2021-22 में विद्या सम्बल योजना प्रारम्भ की गई है।

93. वर्ष 2021-22 से विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय विवरण जनाधार से वेब सर्विस के माध्यम से स्वतः सत्यापन होगा।

94. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 520 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 4 लाख 17 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

95. अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये से विकास कोष का गठन किया गया है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।

96. अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 95 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान कर 1 लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

97. अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिये आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मदरसा बोर्ड का एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

98. अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना, 2021 तीन चरणों में लागू कर प्रथम चरण में 5 हजार 149 ऋणियों को 40 करोड़ 33 लाख रुपये का ऋण माफ कर लाभान्वित किया जा चुका है।

99. अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये से जनजाति विकास कोष का गठन किया गया है।

100. जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिये 407 आश्रम छात्रावासों एवं 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों में लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 13 खेल छात्रावासों, 9 महाविद्यालय छात्रावासों एवं 6 बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का भी संचालन किया जा रहा है।

101. सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, यूनिफार्म इत्यादि क्रय करने हेतु दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कक्षा 1 से 5 तक 1 हजार रुपये एवं 6 से 12 तक 2 हजार 500 रुपये किया गया है।

102. अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा तथा सहरिया एवं कथौड़ी परिवार के लगभग 80 हजार बालक-बालिकाओं को मां-बाड़ी केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है।

103. प्रदेश में ''सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना'' लागू की गयी है। वन क्षेत्र एवं उसके निकट आवास कर रहे लोगों को सामुदायिक वनाधिकार देने एवं पात्र लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार प्रदान करने हेतु 9 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक विशेष वनाधिकार अभियान संचालित किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

104. महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और उनके

मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उपलब्ध सेवाओं व अवसरों का लाभ देने के उद्देश्य से नई महिला नीति अप्रैल, 2021 से लागू की गई है।

105. महिलाओं व किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु 'आई एम शक्ति उड़ान' योजना का 19 दिसम्बर, 2021 को शुभारम्भ किया गया। इस योजना के पहले चरण के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

106. यह समाज में एक बदलाव की शुरुआत है। माहवारी एवं स्वच्छता के विषय में समाज में बात करने में झिझक होती थी, जिसका परिणाम महिलाओं को गम्भीर बीमारियों के रूप में उठाना पड़ता था। इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद महिलाओं को हाइजिन की कमी से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

107. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तीकरण के लिये इंदिरा महिला शक्ति उद्‌यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ कर ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 17 करोड़ 30 लाख रुपये के 407 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

108. समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्तमान में 61 हजार 625 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनके माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देकर उन्हें कुपोषण से बचाने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 10 प्रतिशत की वृद्‌धि की गयी है।

109. देश में पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से ग्राम स्वराज की अवधारणा को धरातल पर उतारने का जो काम हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी ने किया था, हमारी सरकार उसे और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। स्व. राजीव गांधी जी ने अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान कहा था किः

मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे-लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे तब तक यह नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना यह नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ

जाए बल्कि ये है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। ये ही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आये।

110. उस पंचायती राज को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

111. ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों के मामलों में ग्रामीणों को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। हमने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया।

112. प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किये गये।

113. ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में 390 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय कर 7 हजार 515 कार्य किये गये।

114. पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं में 3 हजार 557 करोड़ रुपये व्यय कर 86 हजार 659 कार्य पूर्ण करवाये गये।

115. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में अब तक 7 हजार 873 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 62 लाख 86 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए 29 करोड़ 13 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

116. कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में मनरेगा में 68 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की।

117. राजीविका परियोजनाओं में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 27 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया।

118. राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 736 करोड़ रुपये व्यय कर 58 हजार 107 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

119. शहरों में दूरदराज से आकर काम करने वाले और इसी तरह के जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमने इंदिरा रसोई योजना शुरु की है।

120. इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से

प्रति थाली 8 रुपये की दर से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें राजकीय अनुदान 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली किया गया है।

121. योजना में अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किये गये।

122. पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 चलाया गया। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अब तक एक लाख 50 हजार से अधिक पट्टे वितरित किये जा चुके हैं।

123. प्रदेश के 3 विकास प्राधिकरणों और 14 नगर विकास न्यासों में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की लागत के 1 हजार 601 विकास कार्य प्रगतिरत हैं।

माननीय सदस्यगण,

124. राजस्थान मीरा की भक्ति और प्रताप की शक्ति की भूमि है।

125. राजस्थान रामदेव जी के साम्प्रदायिक सद्भाव और अजमेर के गरीब नवाज़ की सरज़मीं है।

126. राजस्थान भव्य हवेलियों, ऐतिहासिक किलों और महलों की धरती है।

127. यहां के कण-कण में ऐतिहासिक गाथाएं छुपी हुई हैं।

128. कालीबंगा की सदियों पुरानी सभ्यता से लेकर जयपुर जैसी आधुनिक नगरीय व्यवस्था राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाती है।

129. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की धरती के बारे में कहा है कि-

राजस्थान का एक-एक पत्थर वीरता के इतिहास से भरा हुआ है, बलिदानों के सुनहरे कारनामों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की पुरानी कीर्ति आज भी हमारे दिलों को अभिमान, हर्ष और उत्साह से भर देती है।

130. राजस्थान के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का आनंद उठाने पूरी दुनिया से सैलानी आते हैं।

131. पिछले 2 सालों में कोविड महामारी ने पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया है।

132. ऐसे में हमारी सरकार ने संबल के लिए इस क्षेत्र का हाथ थामा है।

133. राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 के तहत ''गेस्ट हाउस स्कीम 2021'' एवं ''राजस्थान होम स्टे योजना, 2021'' लागू की गयी है।

134. सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा शेखावाटी व गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 149 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

135. पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) नियम, 2010 में संशोधन कर पर्यटकों के साथ घटित होने वाले समस्त अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती किया गया।

136. पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के लिए जयनिवास उद्यान (जयपुर), मुचकुण्ड (धौलपुर), चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई स्मारक, मेड़ता (नागौर) पर साउण्ड एवं लाइट शो तथा गड़ीसर तालाब, जैसलमेर पर लेजर वाटर शो शुरू किया गया।

137. फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रैवल/टूर आपरेटर पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी, 2021 से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है।

138. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पर्यटन इकाइयां ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र की गई।

139. इसकी उप योजना 'मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना' में उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत देय होगा।

140. पंजीकृत गाइडों के फीस में 10 साल बाद तीन गुना की वृद्धि की गयी।

141. राज्य सरकार यहां की समृद्ध कला, साहित्य एवं संस्कृति को संरक्षित करने के प्रति सजग है। शांति, अहिंसा, सह-अस्तित्व और सद्भाव हमारी समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है।

142. युवा पीढ़ी को गांधी विचार से परिचित करवाने के लिए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की गई।

143. कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों को विशेष आर्थिक सहायता के तौर पर 5 हजार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2021 में 10 हजार

204 कलाकारों को 5 करोड़ 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

144. दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ 12 मार्च, 2021 को बजाज नगर, जयपुर से महात्मा गांधी सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में दांडी यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया गया।

145. राजस्थान की पहचान अपने ऐतिहासिक मंदिरों और नगरों की वजह से है।

146. यहां दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

147. देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 1 हजार 800 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह किया।

148. आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 3 हजार 600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया।

149. उदयपुर जिले में स्थित मंदिर श्री ऋषभदेव जी के सर्वांगीण विकास के लिए 1 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये गये।

माननीय सदस्यगण,

150. प्रदेश में शांति, समृद्धि एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

151. राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ''अपराधों के निर्बाध पंजीकरण'' की व्यवस्था से महिलाओं सहित कमजोर वर्ग को परिवाद दर्ज करवाने का हौसला बढ़ा है।

152. इसका प्रमाण है कि वर्ष 2017 में दुष्कर्म के 33.4 प्रतिशत मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे, अब इनकी संख्या घटकर 16 प्रतिशत रह गई है।

153. महिला अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर ''स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमेन'' का गठन किया गया है।

154. प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा

है। अब तक 711 थानों में स्वागत कक्ष बनाये जा चुके हैं एवं 110 में निर्माणाधीन हैं।

155. बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में औसत अनुसंधान समय वर्ष 2017-18 में 274 दिन था, परन्तु हमारी सरकार की हर पीड़ित को न्याय देने की मंशा के कारण पॉक्सो एक्ट व महिला अत्याचार के मामलों में निस्तारण समय सिर्फ 79 दिन रह गया है।

156. जघन्य अपराधों के त्वरित अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण हेतु “हीनियस क्राइम मानिटरिंग यूनिट” के जरिए सतत निगरानी रखी जा रही है।

157. महिला अपराधों को रोकने के लिए सभी थानों में 'सुरक्षा-सखी' समूह का गठन किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

158. विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है।

159. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार परम्परागत ऊर्जा साधनों के साथ ही गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी ध्यान दे रही है।

160. गत 3 वर्षों में 2 हजार 970 मेगावाट की वृद्धि से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23 हजार 309 मेगावाट हो गयी है।

161. नई सौर ऊर्जा नीति के परिणामस्वरूप 8 हजार 420 मेगावाट सोलर क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम है।

162. निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये गत 3 वर्षों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये 400 केवी का एक, 220 केवी के 4, 132 केवी के 22 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 केवी के 496 सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

163. 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।

164. किसानों को बिजली के बिलों में गत तीन वर्षों में 43 हजार 870 करोड़ रुपये का अनुदान देकर राहत प्रदान की गयी है।

165. प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

166. वृहद् पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों, 4 हजार 98 गांवों एवं 4 हजार ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

167. इसके अलावा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों व ढाणियों में 1 हजार 158 आर.ओ. प्लान्ट्स एवं एक हजार 953 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

168. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 35 हजार से अधिक गांवों में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 86 लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी करने हेतु स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अब तक प्रदेश में 22 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

169. पेयजल के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके भी पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं।

170. राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1 हजार 766 करोड़ रुपये व्यय कर 9 हजार 854 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी।

171. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार के तहत दिसम्बर 2021 तक लगभग 1 हजार 76 किलोमीटर लम्बाई की वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के द्वितीय चरण में 10 लाख 71 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रख-रखाव व जल संचालन के कार्य करवाये जा रहे हैं।

172. परवन वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर वर्ष 2021-22 में 392 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय किये गये।

173. धौलपुर लिफ्ट बहुउद्देशीय परियोजना पर वर्ष 2021-22 में 144 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

174. ईसरदा पेयजल परियोजना पर वर्ष 2021-22 में 78 करोड़ 15 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

175. कोटा जिले की दीगोद तहसील में काली सिंध नदी पर बनाये जा रहे नवनेरा बैराज पर वर्ष 2021-22 में 234 करोड़ 42 लाख रुपये व्यय किये।

176. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत 27 जिलों

में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार से 4 लाख 70 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक लगभग 87 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

177. पार्वती बांध जिला धौलपुर, छापी बांध जिला झालावाड़, राणा प्रताप सागर बांध जिला चित्तौड़गढ़, सोम कमला अम्बा बांध तथा माही नहर पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

178. राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण की एक हजार 454 करोड़ रुपये लागत की परियोजना से जोधपुर एवं पाली जिले के 5 शहर तथा 3 हजार 104 गांवों में जलापूर्ति हेतु राशि की व्यवस्था राज्य मद से की गई।

माननीय सदस्यगण,

179. सड़कें किसी प्रदेश के विकास की रीढ़ होती हैं। अच्छी सड़कों की वजह से ही निवेश आकर्षित होता है और आम आदमी का जीवन सुगम बनता है।

180. हमारी सरकार के कार्यकाल में 16 हजार 935 करोड़ रुपये व्यय कर 5 हजार 794 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण, 860 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 4 हजार 689 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास व 28 हजार 548 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किये गये हैं।

181. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी राजस्थान अग्रणी है। योजना के फेज तृतीय के अन्तर्गत 4 हजार 291 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। आरआईडीएफ-25 व 26 में 2 हजार 352 किलोमीटर लम्बाई में 698 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

182. रेलवे फाटकों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिये 8 आरओबी एवं 25 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 20 आरओबी व 32 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

183. राज्य में 29 हजार 885 किलोमीटर लम्बाई में राज्य की सड़कों का विकास किये जाने के लिए 17 हजार 500 करोड़ रुपये लागत के 7 हजार 407 कार्यों की नवीन स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

184. सड़कों से वंचित 2011 की जनगणनानुसार 500 व अधिक आबादी के 369 राजस्व गांवों व 29 बसावटों तक डामर सड़कों की सुविधा पहुंचाई गई है।

185. इस वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत के कार्य करवाने की दिशा में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 336 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक व 522 किलोमीटर लम्बाई में नोन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 487 कार्य राज्य सड़क निधि व नाबार्ड योजना में स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

186. राज्य में सड़कों के विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में 3 सड़कों के उन्नयन एवं विकास कार्य के तहत 1 हजार 948 करोड़ रुपये लागत से 1 हजार 926 किलोमीटर लम्बाई में 99 सड़क, पुल व आरओबी के कार्य स्वीकृत किये जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

187. शहरी क्षेत्रों की सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में 30 किलोमीटर, नगर परिषद् क्षेत्र में 20 किलोमीटर एवं नगरपालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़कों के विकास की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। इनमें से 902 कार्य प्रारम्भ कर दिए गये हैं।

188. शिक्षित समाज के रास्ते ही आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा का उजियारा पहुंचा कर ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

189. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गयी है। अब तक खोले जा चुके अंग्रेजी माध्यम के 562 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में 86 हजार से अधिक नामांकन हो चुका है।

190. विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन की सुविधा सहज सुलभ कराने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में से 358 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कृषि संकाय खोले जा चुके हैं।

191. वर्तमान सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने को विशेष प्राथमिकता दी है। अब तक 61 हजार 625 शिक्षकों को नवीन नियुक्तियां प्रदान

की जा चुकी हैं। साथ ही 60 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

192. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचारों के परिणामस्वरूप राजकीय विद्यालयों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है।

193. इन्सपायर अवार्ड योजना 2020-21 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है।

194. स्थानीय स्तर पर कन्या महाविद्यालयों के अभाव में अनेक बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर 500 से अधिक बालिकाएं होने पर कालेज खोलने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

195. गत 3 वर्षों में 123 नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही 17 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 39 नवीन विषय शुरू किये गये हैं।

196. मूकबधिर विद्यार्थियों हेतु राजकीय मूकबधिर महाविद्यालय जयपुर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। जोधपुर में मूकबधिर महाविद्यालय खोला जा चुका है।

197. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के 23 हजार 167 विद्यार्थियों को 11 करोड़ 48 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में वर्ष 2019-20 की 2 हजार 436 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गयीं।

198. प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में अध्ययन हेतु 'राजीव गांधी स्कालरशिप फार एकेडमिक एक्सीलेन्स योजना-2021' प्रारम्भ की गई।

199. राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 में 390 प्रवेश क्षमता के 4 नये राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय मण्डोर (जोधपुर), पिलानी (झुन्झुनूं), नावां (नागौर) एवं उच्चैन (भरतपुर) में खोले गये।

200. आम आदमी की भू-अभिलेख से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण करने के लिये भू-अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन कार्य निरंतर प्रगति पर है। इस कार्य के अन्तर्गत 369 तहसीलों में से 321 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है।

201. प्रदेश में वर्ष 2021 में एक अतिरिक्त जिला कलक्टर, 12 उपखण्ड, 30 तहसील एवं 29 उप-तहसील के नवीन कार्यालयों का सृजन किया गया है। प्रदेश में 329 नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है।

202. खातेदारी भूमि पर विंड फार्म, विंड पावर प्लांट, बायो मॉस आधारित पावर प्लांट आदि परियोजनाएं लगाने पर संपरिवर्तन से छूट प्रदान करने के लिये राजस्थान भू-राजस्व नियम में संशोधन किया गया है।

203. निःशक्तजन व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की पट्टा अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष तक किया गया है।

204. युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राजकीय क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 94 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

205. बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5 हजार 175 डेयरी बूथ खोले गये हैं।

206. असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये ई-श्रम पोर्टल प्रारम्भ कर इस पोर्टल में अब तक लगभग 71 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

207. श्रम विभाग द्‌वारा वर्ष 2021-22 में अब तक 2 लाख 33 हजार भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण कर 95 हजार श्रमिकों को विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया गया। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल योजना में लगभग 77 करोड़ रुपये का भुगतान कर 85 हजार से अधिक श्रमिकों को एवं सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना में 9 करोड़ रुपये का भुगतान कर 366 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया।

208. जिला मुख्यालयों पर कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों के आयोजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब तक कुल 800 कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन कर 75 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया गया है।

209. राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये एवं 3 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 500 रुपये किया गया है। अब तक कुल 3 लाख 53 हजार 915 आशार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1 हजार 305 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

210. हमारी सरकार द्वारा मार्च, 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपये व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्त्योदय के लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

211. आमजन की सुविधा के लिये उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। सभी उचित मूल्य दुकानों की जियो टैगिंग पूर्ण कर ली गयी है।

212. राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये जाने की शर्तों का सरलीकरण कर 625 प्रकरणों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि आश्रितों को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य दुकान आबंटन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।

213. जनाधार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित 114 लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का सीधा लाभ 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक लगभग 103 करोड़ डीबीटी लेन-देन सम्पन्न हुए हैं।

214. राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्त्वपूर्ण सुझावों के आधार पर राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन पत्र तैयार करवाये जा रहे हैं। यह कदम इन क्षेत्रों के लिए भावी नीति-निर्धारण हेतु उपयोगी होंगे।

215. राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 तैयार किये गये।

राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत परिवीक्षण हेतु क्रमशः राज्य सतत् विकास लक्ष्य इन्डीकेटर फ्रेमवर्क एवं जिला सतत विकास लक्ष्य इंडीकेटर फ्रेमवर्क तैयार किये जा चुके हैं।

216. नीति आयोग द्वारा आशान्वित जिला कार्यक्रम के तहत जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में बारां जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर जून-जुलाई, 2021 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिये बारां जिले को 7 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

217. जन आधार कार्ड का राशनकार्ड के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी एनएफएसए राशन कार्डधारी सदस्यों की जन आधार से मैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण,

218. भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधान मंत्री भारतरत्न स्व. राजीव गांधी ने ई-गवर्नेंस और आईटी का लाभ घर-घर पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे आज राजस्थान में साकार किया जा रहा है।

219. प्रदेश को संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ई-गवर्नेंस पर विशेष बल दिया जा रहा है।

220. राज्य सरकार ने 13 सितम्बर, 2019 को जन सूचना पोर्टल का शुभारम्भ किया। अब तक इस पोर्टल को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया है। जनसूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 115 विभागों से जुड़ी 258 योजनाओं एवं 561 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

221. जनकल्याण ही प्राथमिकता एवं जनकल्याण ही प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने जन कल्याण पोर्टल स्थापित किया है। इस पोर्टल पर जनहित में संचालित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

222. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर वर्ष 2021 में प्राप्त लगभग 20 लाख परिवेदनाओं में से लगभग 96 प्रतिशत परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है।

223. माननीय सदस्यों, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निवेश का अहम योगदान है। इस हेतु प्रदेश के औद्योगिक विकास में उद्यमियों

विशेष रूप से अप्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिये 7 शहरों-दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलूरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित किये गये। दुबई एक्सपो में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अमेरिका स्थित निवेशकों के साथ एक वर्चुअल निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

224. देश के विभिन्न शहरों एवं दुबई में आयोजित निवेश सम्मेलनों में 5 लाख 73 हजार 327 करोड़ रुपये के विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही राज्य के जिला स्तरीय निवेश सम्मेलनों में एक लाख 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

225. राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा 04 सितम्बर, 2021 को “मिलिये सरकार से” एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला की शुरुआत की गयी है। इसमें प्रवासी राजस्थानी, राज्य के मंत्रियों से सीधे वार्तालाप कर निवेश के अवसरों के बारे में जान पाएंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगे।

226. “वन स्टाप शॉप“ प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल “राज निवेश“ पर 51 हजार 32 करोड़ रुपये के 209 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

227. बोर्ड आफ इन्वेस्टमेन्ट की प्रथम बैठक में एक लाख 67 हजार 750 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

228. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये राज उद्योग मित्र पोर्टल पर अब तक 12 हजार 542 उद्योगों को प्राप्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

229. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डा. बी.आर. अम्बेडकर स्पेशल पैकेज का प्रावधान 30 मार्च, 2021 को किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल कर 7 हजार 215 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण से सम्बन्धित ‘‘पात्रता छूट प्रमाण पत्र" जारी किये गये।

230. राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उपखण्डों में चरणबद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

231. रीको द्वारा औद्योगिकीकरण की गति को बनाये रखने के लिये प्रदेश में विभिन्न जगहों पर 3 हजार 816 एकड़ भूमि अवाप्त की जाकर लगभग 4 हजार 231 भूखण्ड उद्यमियों को आबंटित किये गये हैं।

232. रीको को सराहनीय प्रदर्शन और देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 06 सितम्बर, 2021 को पुडुचेरी में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में काउंसिल आफ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त रीको के 25 औद्योगिक क्षेत्रों को सर्वोच्च औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी में चुना गया है।

233. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिये कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

234. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 10 हजार 588 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से 2 हजार 535 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया है।

235. प्रदेश के हस्तशिल्प एवं कलाकृतियों की विश्वभर में मांग रहती है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये 29 जुलाई, 2021 को ‘‘मिशन निर्यातक बनो‘‘ योजना का शुभारंभ किया गया। अब तक राज्य में 5 हजार 960 उद्यमियों को आयात-निर्यात कोड जारी करवाये जा चुके हैं।

236. ‘‘उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या‘‘ पोर्टल पर दिसम्बर, 2021 तक 4 लाख 21 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन उद्योगों में 29 हजार 444 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

237. प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी रिफाइनरी परियोजना के निर्माण पर अब तक 11 हजार 895 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

238. खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। इस वर्ष प्रधान

खनिज लाइमस्टोन के 2 ब्लाक्स का ई-आक्शन किया गया है। इससे आगामी वर्षों में लगभग 6 हजार 838 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। खनिज लाइमस्टोन के 6 ब्लाक व खनिज कॉपर के एक ब्लाक की ई-आक्शन प्रक्रिया जारी है।

239. वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रधान खनिज के 154 भू-खण्डों का सफल ई-आक्शन करने से फिक्स प्रीमियम के रूप में 113 करोड़ 65 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

240. राज्य सरकार के प्रयासों से 4 वर्ष बाद न्यायिक विवादों के निस्तारण से वैध बजरी खनन प्रारम्भ हुआ। अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा व जालौर जिलों में 6 खनन पट्टों में खनन प्रारम्भ किया जा चुका है। फरवरी माह तक अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारम्भ हो सकेगा।

241. माननीय सदस्यों, सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं से मानव जीवन को बचाने के लिए अहम है।

242. सड़क सुरक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर, 2021 को विभाग का नाम "परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग" कर दिया गया है।

243. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रदेश के 10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं 2 जिला परिवहन कार्यालयों में चालक क्षमता का परीक्षण आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लेने की व्यवस्था लागू की गयी है।

244. सुमेरपुर (पाली), पोकरण (जैसलमेर) व सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), जैतारण (पाली), कुचामनसिटी (नागौर), खाजूवाला (बीकानेर), कामां (भरतपुर) व चाकसू (जयपुर) में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले गये हैं।

245. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैट्री क्षमता के अनुसार दोपहिया वाहनों पर 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये एवं तिपहिया वाहनों पर 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

246. गुड्स परमिट, कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट, नेशनल परमिट, प्राइवेट

सर्विस व्हीकल परमिट एवं कर चुकता प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन किया जा चुका है।

247. सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाने हेतु "मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना" लागू की गयी है।

248. राज्य सरकार द्वारा रोडवेज को प्रदान किये गये ब्याज मुक्त ऋणों की राशि 630 करोड़ 37 लाख रुपये को अंशपूंजी में परिवर्तित कर रोडवेज की वित्तीय संरचना में सुधार किया गया है।

249. दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा का विस्तार करते हुए 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन को भी निगम की साधारण व द्रुतगामी एवं रात्रि सेवा बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

250. "आउट ऑफ टर्न" नियुक्ति नियमों के तहत 182 अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया एवं इनमें से 164 खिलाड़ियों को "आउट आफ टर्न" नियुक्तियां दी गई हैं।

251. टोक्यो में आयोजित पैरा ओलम्पिक गेम्स में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों अवनी लेखरा को स्वर्ण व कांस्य पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपये, कृष्णा नागर को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपये, देवेन्द्र झाझड़िया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपये एवं सुंदर गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गयी है।

252. वर्ष 2021 में अवनी लेखरा (पैरा शूटिंग) एवं कृष्णा नागर (पैरा बैडमिन्टन) को भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेजर ध्यानचंद (खेल रत्न) अवार्ड से सम्मानित किया गया। देवेन्द्र झाझड़िया को पद्म भूषण एवं अवनी लेखरा को पद्मश्री से अलंकृत करने के लिये की गयी घोषणा हमारे लिये गर्व की बात है।

253. प्रदेश में डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबाल एकेडमी प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय सदस्यगण,

254. ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में वर्ष 2021-22 में अब तक

32 हजार 443 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है एवं लगभग 1 करोड़ 11 लाख पौधे वितरित किये गये।

255. वर्ष 2021 में राजस्थान ईको टूरिज्म पालिसी बनाकर पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण एवं आजीविका प्रबंधन को विषेष महत्त्व दिया गया है।

256. आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही एवं मानिटरिंग करने हेतु राज्य आपदा परिचालन केन्द्र की स्थापना की गयी। प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु 34 ड्रोन क्रय कर जिला कलक्टर एवं विभागीय मुख्यालय पर उपलब्ध करवाये गये हैं।

257. अधिस्वीकृत पत्रकारों को कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पालिसी की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है।

258. पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में पत्रकार कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न नियमों, प्रावधानों एवं सुविधाओं की समीक्षा एवं सरलीकरण हेतु समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति, पत्रकार समस्या समाधान समिति, पत्रकारों की आवासीय समस्या समाधान समिति, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष प्रबंध समिति एवं राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

259. कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में एमनेस्टी स्कीम-2021 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में पहली बार कर की छूट के साथ ही ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत तक की छूट दी गई है। कोविड-19 से प्रभावित अवधि में मांग राशि में से 6 हजार 982 करोड़ रुपये की मांग राशि कम कर व्यवहारियों को राहत प्रदान की गयी।

260. लॉकडाउन अवधि के दौरान करदाताओं को जीएसटी में रिटर्न फाइल करने की लेट फीस की सशर्त छूट देकर और ब्याज की दर कम करके राहत प्रदान की गयी है। साथ ही 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम तथा 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नआवर वाले करदाताओं के लिये ई-इनवाइस की व्यवस्था लागू की गयी है। इसी क्रम में कोविड

से सम्बन्धित दवाइयों, आक्सीजन उपकरणों इत्यादि पर जीएसटी की दर कम कर राहत प्रदान की गयी है।

261. माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी-निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों तथा पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत 01 जुलाई, 2021 से कैशलेस इंडोर एवं डे-केयर चिकित्सा सुविधा तथा 01 नवम्बर, 2021 से कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 01 नवम्बर, 2021 से सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर्स पर कैशलेस दवाइयां प्रदान की जा रही हैं।

262. पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृति ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) से जारी करने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन नियमों में संशोधन कर पेंशन कुलक के साथ विभाग से सेवा पुस्तिका मंगवाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। पेंशन भुगतान की केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत पेंशनर्स के बिल आटोमेशन को ई-कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से करने की व्यवस्था शुरू की गयी है।

263. राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन बिलों, एनपीएस कटौतियों के बिलों, सीआरए को राशि-हस्तान्तरण, टेलीफोन व पत्र-पत्रिकाओं के व्यय पुनर्भरण की आटोमेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

264. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022
2. व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

265. हमारी सरकार प्रदेश की जनता के लिए कोविड महामारी जैसे कठिन दौर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रदेश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' को ध्येय वाक्य मानकर निर्णय लिए और नीतियों का निर्माण किया।

266. हमारा प्रयास रहा कि प्रदेश में अमन-चैन का माहौल कायम रहे। प्रदेश में निवास करने वाले सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द्र के साथ जीवनयापन करें।

267. आइये! हम सब प्रयास करें कि राजस्थान का हरेक निवासी 'चिरंजीवी' बने, हर महिला के सपनों को 'उड़ान' मिले, युवा को रोजगार का 'संबल' मिले, किसानों का 'मित्रवत' कार्य हो एवं हम सब मिलकर आगे बढ़ते राजस्थान को उत्तरोत्तर आगे लेकर जाएं।

जय हिन्द।